न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 20/2021
तारीख दायरा – 15.04.2021

प्रार्थी :–

केसाराम पुत्र मूलारामजी आयु– 58 वर्ष, जाति–ढोली
निवासी– पनोता, तहसील–देसूरी जिला पाली(राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. कानाराम पुत्र ताराराजी उम्र– 52 वर्ष जाति– मेघवाल
   निवासी– पनोता, तहसील–देसूरी जिला पाली(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(वाद आदेशात्मक एवं अस्थाई निषेधाज्ञा)

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील सुधीर कुमार श्रीमाली।
2– अप्रार्थी 01 की ओर से – वकील सुशील दवे।

–: निर्णय :– **दिनांक–** 30/6/2022

1– प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पनोता, पटवार हल्का पनोता, तहसील –देसूरी में खसरा नम्बर 714 कुल रकबा 1.2700 हेक्टर कृषि भूमि एकमात्र प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जासूद की विद्यमान है।

2– उक्त सम्पूर्ण आराजी पर एकमात्र कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग करने का एक मात्र विधिक अधिकार बहैसियत खातेदार के एक मात्र प्रार्थी को है तथा प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान उपयोग–उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी भी व्यक्ति को हस्तेक्षप, व्यवधान, अवैध कृत्य करने का अधिकार नहीं है।

3– यह कि अप्रार्थी 01 [illegible] उसके किसी भी भाग पर कोई अधिकार नहीं है जिसके बावजूद अप्रार्थी [illegible] ने [illegible]ग्रस्त आराजी के पश्चिमी उत्तरी हिस्से की भूमि संलग्न नक्शे में [illegible] ABCD [illegible] से 15 दिन पूर्व दो ट्रोली अवैध पत्थर बलपूर्वक डलवाने शुरू किये जिस पर प्रार्थी को जानकारी [illegible]र प्रार्थी ने तुरन्त अप्रार्थी 01 को मना किया। तब अप्रार्थी 01 ने हटाने का आश्वासन देकर मार्क B

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

पर चुपके से जे.सी.बी. से नीवें खुदवा दी तथा पत्थरों से अवैध निमार्ण करने लगा। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने पुलिस थाना खिंवाडा में तथा तहसीलदार देसूरी को लिखित में निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार देसूरी के आदेश पर अप्रार्थी 01 का उक्त अवैध कृत्य पटवारी हल्का द्वार रूकवाया गया। उसके बाद भी अप्रार्थी ने प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी का भाग मार्क ABCD को बलपूर्वक हडप करने की धमकी दी। जबकि अप्रार्थी 01 को प्रार्थी की एक मात्र खातेदारी व कब्जासूद सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग पर अवेध दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, अवैध निर्माण, कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर प्रार्थी को मजबुद होकर यह निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पडा।

4— यह कि अप्रार्थी 01 व उसके परिवार वाले बलपूर्वक उक्त वर्णित अवैध कृत्य कर रहे है। प्रार्थी द्वारा पुनः अप्रार्थी 01 को मना किया लेकिन नहीं मान रहा है। अप्रार्थी 01 की पत्नी भी प्रार्थी से अनावश्यक झगडा कर रहीं है तथा झुठे केस में फसाने की धमकिया दे रही है। अप्रार्थी को उक्त अवैध कृत्य करने से निषेधाज्ञा से रोकना आवश्यक है एवं अप्रार्थी के उक्त अवैध पत्थरों को, नीवे के खड्डे इत्यादि को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा के हटाना निंतात आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को अनावश्यक अपूरणीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

5— यह है कि मूल वाद के निस्तारण मे समय लगेगा तब तक अप्रार्थी 01 बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को वंचित कर देगें। प्रार्थी की फसल भी बर्बाद हो जावेगी। प्रार्थी काश्त भी नहीं कर सकेंगे। जिसे प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी 01 अवैध बाधा, हस्तक्षेप नहीं करें जिसे हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी 01 को रोका जाना नितांत आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।

6— प्रार्थी ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी 01 के विरूद्ध मौजा ग्राम पनोता, में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 714 कुल रकबा 1.2700 हेक्टर मे इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त आराजी में विद्यमान प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग—उपभोग में अप्रार्थी 01 किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, अवरोध बाधा नहीं करें तथा न ही अवैध निमार्ण, नींव इत्यादित करावे एवं ना ही किसी प्रकार की तोड—फोर, विवाद करें।

7— प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] नोटित तलब किया गया। अप्रार्थी 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री [illegible] किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी 01 की त[illegible] चाहा गया। दिनांक 27.07.2021 को पत्रावली में जवाब आने तक विरूद्ध अप्रार्थी [illegible] के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी 01 किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी,

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:43 IST
Reason: SelfAttested

हस्तक्षेप नहीं करें। पत्रावली में लम्बे समय तक जवाब में चली। अधिवक्ता अप्रार्थी 01 को जवाब हेतु बार–बार एवं अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बदं किया गया एवं पत्रावली अंतिम बहस में नियत की गई।

8– अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गयां अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी एकमात्र प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जासुद कृषि भूमि है। जिसमें अप्रार्थी 01 बिना किसी हक अधिकार के जोर जबरदस्ती एवं बलपूर्वक संलग्न नक्शे में मार्क ABCD को हडपने की नियत से वादग्रस्त आराजी में अवैध दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, अवैध निमार्ण करने पर उतारू है। जिसको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक एवं न्यायहित में है अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीर्य क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयो–पैसा से नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का निवेदन किया।

9–हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना। पत्रावली एवं मूल वाद का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों एवं जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी एकमात्र प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है जिसमें अप्रार्थी 01 किसी प्रकार से दखलन्दाजी, हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति न्याय के तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होना जाहिर होता है। न्यायालय की राय में प्रार्थी का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पनोता में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 714 कुल रकबा 1.2700 हेक्टर कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी 01 के जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.07.2021 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी